प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

एकलपीठ: माननीय श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव,न्यायमूर्ति

रिट याचिका (एस) क्रमांक.3669/2005

याचिकाकर्तागण : **अजय कुमार सिंह और अन्य**

बनाम

उत्तरवादी: **कमांडेंट, 12वीं बटालियन, विशेष सशस्त्र बल एवं अन्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश सुनाये जाते हेतु

सही/-

मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

रिट याचिका (एस) क्र. 3663/2005

याचिकाकर्तागण अजय कुमार सिंह और अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण कमांडेंट, 12वीं बटालियन,

विशेष सशस्त्र बल एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति - याचिकाकर्तागण की ओर से: श्री पवन केशवरवानी, अधिवक्ता।

राज्य/उत्तरवादीगण की ओर से: श्री भास्कर पयासी, पैनल अधिवक्ता।

आदेश

(पारित दिनांक 18 जून, 2010)

इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्तागण, उत्तरवादी क्रमांक 1 द्वारा पारित दिनांक 24/04/01 के आदेश अनुलग्नक ए-1) की वैधता और औचित्य को चुनौती देना चाहते हैं, जिसके द्वारा याचिकाकर्तागण की सेवाओं को आवश्यक न बताते हुए, एक माह का नोटिस देकर समाप्त कर दिया गया है।

2. याचिका में अंतर्ग्रस्त विवाद के न्यायनिर्णयन हेतु आवश्यक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्तागण ने अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य के सद्भावपूर्ण निवासी होने का दावा किया हैं और पुनर्गठन के पश्चात्, याचिकाकर्तागण ने उत्तराधिकारी राज्य छत्तीसगढ़ का निवासी होने का दावा किया। विशेष सशस्त्र बल, जगदलपुर की 30वीं बटालियन में आरक्षक के विभिन्न पदों पर भर्ती करने के प्रयोजनों हेतु, अनुलग्नक ए-2 के माध्यम से एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसे स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञापन के प्रत्युत्तर में सभी याचिकाकर्तागण ने आरक्षक के पद हेतु आवेदन किया और अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चयन उपरांत, पात्रता और अर्हताओं की सूक्ष्म जाँच पर, याचिकाकर्तागण नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाए गए और उनके चयन पर उन्हें आरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया तथा उनके पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी किए गए इन सभी को सामूहिक रूप से अनुलग्नक ए-3 के रूप में अभिलेख पर रखा गया है, सिवाय याचिकाकर्ता क्रमांक 2 के नियुक्ति प्रमाण पत्र के। याचिकाकर्ता क्रमांक 1 ने दिनांक 30/09/98 को अपना कार्यभार ग्रहण किया। हालांकि याचिकाकर्ता क्रमांक 2 का नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं , तथापि यह निवेदन किया गया है कि उन्होंने दिनाकं 16/10/98 को अपना कार्यभार ग्रहण किया। भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत, याचिकाकर्तागण तब तक कार्य करते रहे जब तक कि दिनाकं 24/04/01 को आक्षेपित आदेश पारित नहीं किया गया, जिसके द्वारा उनकी सेवाओं को यह कहते हुए एक माह का नोटिस देकर समाप्त कर दिया गया कि उनकी सेवाओं की अब और आवश्यकता नहीं है।

3. सेवा समाप्ति के आदेश पर आक्षेप करते हुए, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्तागण को आरक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए विधिवत चयनित किया गया था क्योंकि वे विज्ञापन में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते थे। लगभग 2 वर्ष तक कार्य करने के उपरांत, याचिकाकर्तागण को बिना सुनवाई का कोई अवसर दिए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क है कि सेवा समाप्ति के पीछे का मुख्य प्रवर्तनशील कारण सरल नहीं था, जैसा कि आक्षेपित आदेश में कहा गया है, बल्कि जो जवाबदावा में कहा गया है, वह यह है कि याचिकाकर्तागण की सेवाए को इसलिए समाप्त किया गया हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शैक्षणिक अर्हता उत्तर प्रदेश से प्राप्त की थी, जबकि पुलिस मुख्यालय ने दिनांक 21/08/98 को एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें राज्य सरकार के दिनांक 27/3/98 के सामान्य प्रशासन विभाग (G.A.D.) के परिपत्र का अनुपालन करने हेतु यह शर्त थी कि उम्मीदवार को उच्चतर माध्यमिक या स्नातक की उपाधि केवल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित स्कूल/कॉलेज से ही उत्तीर्ण करनी चाहिए। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जवाबदावा से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्तागण को उनकी अर्हता की सूक्ष्म जाँच के उपरांत चयनित किया गया और नियुक्त किया गया, जिसके बाद उन्हें दो वर्ष से अधिक समय के बाद सेवा से समाप्त कर दिया गया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस आधार पर कि वे पात्र नहीं थे। इसलिए, याचिकाकर्तागण उनके सेवा समाप्ति से पूर्व सुनवाई का अवसर प्राप्त करने के हकदार थे। इसके वैकल्पिक रूप में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि सरकार द्वारा जारी किए गए परिपत्र को कानून का बल प्राप्त नहीं है। जिस विज्ञापन के अनुसरण में याचिकाकर्ताओं ने नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, उसमें ऐसी कोई शर्त अधिरोपित नहीं की गई थी।एम.पी./सी.जी.

पुलिस विनियमों में निहित प्रावधानों का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि उक्त विनियमों के तहत आरक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे किसी पात्रता मानदंड को निर्धारित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है।आगे यह आग्रह किया गया है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ याचिकाकर्ताओं ने नियुक्ति प्राप्त करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष कोई कपट की हो या दुर्व्यपदेशन किया हो। अतः, एक बार पात्रता योग्यताओं की जाँच और समुचित चयन के उपरान्त नियुक्त किए जाने के बाद, उनकी सेवाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता था, और उत्तरवादीगण उक्त आधार पर उनकी सेवाओं को समाप्त करने से विवन्धित थे।इस दलील के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया *एन.टी. देविन कट्टी व अन्य बनाम कर्नाटक लोक सेवा आयोग व अन्य* (1990) 3 एससीसी 157. *हेमानी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय* (2008) 7 एससीसी 11 और *तमिलनाडु कंप्यूटर* एस.सी. *बी.एड. जी.टी. वेलफेयर सोसायटी बनाम हायर सेकेंडरी स्कूल कंप्यूटर टेक. असोसिएशन व अन्य* 2009 जे.टी. (9) 70.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके विपरीत, उत्तरवादीगण विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ताओं को पद धारण करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वे अस्थायी कर्मचारी थे। अभीलेख पर रखे गए उनके नियुक्ति आदेशों अनुलग्नक R-1, अनुलग्नक R-2 और अनुलग्नक R-3 का हवाला देते हुए, यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को अगले आदेशों तक अस्थायी रूप से में नियुक्त किया गया था और उनकी सेवाएं एक माह का नोटिस देकर समाप्त किए जाने योग्य थीं । सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग (जी .ए .डी .) के दिनांक 27/03/98 के परिपत्र (अनुलग्नक R-5) के माध्यम से पहले ही निर्धारित कर दिया था कि उम्मीदवारों को उच्चतर माध्यमिक/स्नातक मध्य प्रदेश राज्य

में स्थित विद्यालय /महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए । अतः, याचिकाकर्ता पात्र नहीं थे और उनकी नियुक्ति गलत थी क्योंकि उन्होंने अपनी अर्हक परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की थी न कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित शैक्षणिक संस्थानों से । उत्तरवादीगण विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता केवल नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर किसी राहत के हकदार नहीं हैं और यह एक ऐसा मामला है जहाँ याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से पात्र नहीं हैं । यह तर्क दिया गया है कि यह पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष का मामला है और कोई अन्य दृष्टिकोण या निष्कर्ष संभव नहीं है । इसलिए, आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर आपस्त किए जाने योग्य नहीं हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मैंने पक्षकरों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेखों का अवलोकन किया है ।

6. जिस विज्ञापन के अनुसरण में याचिकाकर्ताओं को आरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, उसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि उम्मीदवारों ने शैक्षणिक योग्यता केवल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित विद्यालय /महाविद्यालय से ही प्राप्त की हो।याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त विज्ञापन के अनुसरण में अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की । चयन की प्रक्रिया में उत्तरवादीगण ने न केवल याचिकाकर्ताओं की उपयुक्तता का आकलन किया, बल्कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की जाँच की । उनकी पात्रता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई और उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ताओं की पात्रता और उपयुक्तता से संतुष्ट होने के पश्चात्, उन्हें दिनाकं 30/09/98 (अनुलग्नक आर-1), 16/10/98 (अनुलग्नक आर-2) और 5/11/93 (अनुलग्नक आर-3) के आदेशों के

माध्यम से आरक्षक के रूप में नियुक्त किया । यह मामला न की किसी कपट या दुर्व्यपदेशन का याचिकाकर्ताओं की ओर से नहीं हैं न ही यह उत्तरवादीगण का यह मामला है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते समय चयन के किसी भी चरण में यह कहकर गुमराह किया कि उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य में स्थित विद्यालय /महाविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है । याचिकाकर्ताओं को वर्ष 1998 में नियुक्त किया गया था और वे लगभग $2^{1/2}$ वर्ष तक काम करते रहे जब सेवा समाप्ति के आक्षेपित आदेश पारित किए गए ।

7. जी.ए.डी. के परिपत्र दिनांक 27/03/98 (अनुलग्नक आर-5) के अवलोकन से पता चलता है कि विभिन्न विभागों को यह सलाह दी गई थी कि वे अपने-अपने विभागों में पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती नियमों में संशोधन करें ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता मध्य प्रदेश राज्य में स्थित शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त की हो | उत्तरवादीगण ने इस न्यायालय के संज्ञान में कोई विशिष्ट वैधानिक नियम नहीं लाए है । हालाँकि, यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के इस निवेदन को स्वीकार करने को इच्छुक है कि मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमों जिनमें वैधानिक बल है , में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आरक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार ने शैक्षणिक योग्यता केवल छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विद्यालय/महाविद्यालय से ही प्राप्त की हो ।यदि उत्तरवादीगण ऐसी शर्त निर्धारित करने के इच्छुक थे, तो इसे आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में शामिल किया जाना चाहिए था । हालाँकि, विज्ञापन में भी ऐसी कोई पात्रता शर्त निर्धारित नहीं की गई थी , जिसके कारण याचिकाकर्ताओं सहित प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति ने उक्त विज्ञापन के अनुसरण में आवेदन किया । अतः, यह नहीं कहा जा सकता कि यह पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का मामला है और न ही यह ऐसा मामला है जहाँ सुनवाई का अवसर एक निराधार औपचारिकता होगा । याचिकाकर्ता प्राधिकारी को संतुष्ट कर सकते थे कि विज्ञापन में या विज्ञापन में निर्धारित ऐसी किसी पात्रता मानदंड के अभाव में या पुलिस विनियमों में ऐसी किसी पात्रता मानदंड के निर्धारित न होने और जी.ए.डी. के दिनांक 27/03/98 के परिपत्र के मद्देनज़र पुलिस विनियमों में कोई संशोधन न होने के कारण , चयन और नियुक्ति के पश्चात्, उनकी सेवाएँ उक्त आधार पर समाप्त नहीं की जा सकती थीं ।

8. उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन कि याचिकाकर्ताओं की सेवाएँ अस्थायी होने के कारण उन्हें एक माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता था, क्योंकि अब उनकी आवश्यकता नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता । जवाबदावा,के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सेवा समाप्ति का मुख्य प्रवर्तनशील कारण यह था कि याचिकाकर्ता नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे , और यह कहना कि सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है, केवल एक चोंगा मात्र था जिसकी आड़ में याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्त की गई । आक्षेपित आदेश ने उनके गंभीर पूर्वाग्रह के लिए कार्य किया, जिसमें व्यवहार वाद परिणाम निहित थे ।इसलिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, उत्तरवादीगण,राज्य होने के नाते, इस कथित अपात्रता के आधार पर सेवा समाप्ति से पूर्व याचिकाकर्ताओं को कम से कम सुनवाई का अवसर देने के लिए आवश्यक था। यह एक ऐसा मामला है जहाँ याचिकाकर्ता की पात्रता की जाँच की गई थी और उसके बाद ही नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे । यदि उत्तरवादीगण को याचिकाकर्ताओं की पात्रता के संबंध में कोई संदेह था, तो नैसर्गिक न्याय, निष्पक्षता और न्यायसंगत के सिद्धांत उत्तरवादीगण को उनकी आजीविका से वंचित करने वाली कोई भी कार्रवाई करने से पहले याचिकाकर्ताओं को सुनने के लिए बाध्य करते हैं ।यह इस प्रकार की प्रकृति का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कोई अपवादिक मामला नहीं है कि यह निरुपयोगी औपचारिकता सिद्धांत के अनुप्रयोग की आवश्यकता हो । यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ यह कहा जा सके कि सुनवाई का अवसर देने के बाद भी उत्तरवादीगण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अलावा कोई अन्य दृष्टिकोण संभव नहीं होता ।

9. अतः, मेरा यह सुविचारित मत हूँ कि आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन से ग्रस्त है और उत्तरवादीगण याचिकाकर्ताओं को सेवा से समाप्त करने से पहले, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य थे इस आधार पर कि उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यताएँ मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर स्थितशैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त की हैं, वे पात्र नहीं हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन कि आक्षेपित आदेश साधारण था सीधे तौर समाप्ति आदेश की तरह ही था और सेवाओं को एक माह का नोटिस देकर समाप्त कर दिया गया है , इसलिए, जवाबदावा में जो कुछ भी कहा गया है, उसके बावजूद केवल आदेश में बताया गया कारण ही प्रासंगिक था, स्वीकार नहीं किया जा सकता । उत्तरवादीगण ने अपने हलफनामे में कहा है कि याचिकाकर्ताओं की सेवाएँ इसलिए समाप्त की गईं क्योंकि वे इस तथ्य के कारण अपात्र पाए गए थे कि उन्होंने शैक्षणिक योग्यताएँ उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त की थीं न कि मध्य प्रदेश राज्य में , और इसलिए उनकी नियुक्ति जी.ए.डी के दिनांक 27/03/98 के परिपत्र (अनुलग्नक आर-5) और पुलिस मुख्यालय के दिनांक 21/08/98 के परिपत्र (अनुलग्नक आर-6) का उल्लंघन थी । इसलिए, आक्षेपित आदेश को साधारण नहीं कहा जा सकता । ऐसे मामले में, जहाँ आक्षेपित आदेश में कोई कलंक नहीं है लेकिन

उत्तरवादीगण के जवाबदावा से यह पाया जाता है कि कार्रवाई का मुख्य प्रवर्तनशील कारण कलंकात्मक है, वहाँ सीधे तौर पर सेवा समाप्ति को नहीं माना जा सकता ।

11. अंतिम विश्लेषण में, याचिकाकर्ताओं के संबंध में दिनांक 24/04/01 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक ऐ-1) को अवैध और कानून में अप्रवर्तनीय मानते हुए आपस्त किया जाता है । याचिकाकर्ता सेवा में बहाली के हकदार होंगे । मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता केवल **25%** बकाया वेतन प्राप्त करने के हकदार होंगे । याचिका इसलिए ऊपर दर्शाई गई सीमा तक स्वीकृत की जाती है । वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा ।

हस्ताक्षर/-

मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण - हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Advocate Kokila Rakesh Sharma